सुनीलकुमार
सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली
secy-mopr@nlc.in
दूरभाष. सं. 23074309; 23389008

सत्यमेव जयते

नागेंद्र नाथ सिन्हा
सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली
secyrd@nic.in
दूरभाष. सं. 23382230; 23384467

अ. शा. सं. जी-39011/2/2017-एफडी

दिनांक : 10 जून, 2020

प्रिय मुख्य सचिव,

पिछले दो महीनों में, कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लागू लॉकडाउन के कारण देश को अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा है। जबकि देश में लगे लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने, कोविड-19 के मामलों में हो रही तीव्र वृद्धि को रोकने और मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के लिए हमें समय मिला, मगर इस समय केंद्रीय और राज्य प्रधिकारियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में लौट रहे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करना। तथापि,इसके साथ, सामुदायिक सतर्कता और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए।

2. पिछले कुछ दिनों/सप्ताहों में कुछ राज्यों द्वारा लिए गए प्रवासी मजदूरों के कौशल मानचित्रण डेटा के एक नमूने से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश श्रमिकों के पास निर्माण उद्योग से संबंधित कौशल हैं। यह समझा जा रहा है कि ये कुशल श्रमिक महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थलों पर अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक न हों। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, कई राज्यों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आइसोलेशन/ क्वारेंटाइन सेंटर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों में स्थापित किए गए हैं। इन्हें स्कूल खुलने पर खाली करना होगा। उपलब्ध सूचना के आधार पर,ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम से कम कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन/ क्वारेंटाइन केंद्रों की निरंतर स्थापना की आवश्यकता निकट भविष्य में बनी रहने की संभावना है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को उनके कौशलों के अनुसार रोजगार प्रदान करने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु ग्राम पंचायतों (जीपी) को सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ-साथ सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध 14वें वित्तआयोग (एफसी) के अनुदानों के तथा आगामी 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध (शर्तरहित) अनुदानों (जो उन्हें शीघ्र ही प्राप्त होंगे) का उपयोग कुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवाओं को नियोजित करके ग्राम पंचायत में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों/ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के अलावा ग्राम पंचायत भवनों/ परिसंपत्तियों जैसी विशिष्ट सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य की दिशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान करने की अनुमतिदी जाए।

4. उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 60,346 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं। 14वें वित्त आयोग की अव्ययित निधियों (प्रियासॉफ्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार) की राज्यवार उपलब्धता, 15वें वित्त आयोग के तहत संभावित आवंटन, जीपी भवनों के डेफिसिट का विवरण संलग्न है।

5. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत भवन के लिए निर्धारित अधिकतम अनुमोदित इकाई लागत 20 लाख रुपये है। पंचायत भवन की 50% लागत को वित्त आयोग की निधि से और शेष 50% लागत महात्मा गांधी नरेगा निधि से वहन करने का निर्णय लिया गया है। यदि ग्राम पंचायतों के पास 14वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध अव्ययित शेष पंचायत भवन की 50% लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो इस कमी को 15वें एफसी के तहत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाने वाले 'अनाबद्ध निधियों' या राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अनुदानों या स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

6. इसके अलावा, ग्राम पंचायतें, जहाँ भी आवश्यक हो, वित्त आयोग के निधियों का उपयोग करके ग्राम पंचायत में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों/ परिसंपत्तियों, जैसे कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उप केंद्रों, बीज और उर्वरक बेचने वाले सहकारी भंडारणों आदि की मरम्मत और रखरखाव भी कर सकती हैं।

7. इस बात पर बल दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने और केंद्रीय वित्त आयोग एवं महात्मा गांधी नरेगा निधियों के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में उपलब्ध कुशल और अकुशल

जनशक्ति को तत्काल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। **इन कार्यों को तुरंत शुरु करने और मिशन मोड में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है।** इसके अतिरिक्त, यह निर्णय केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही वैध है।

8. हमारा यह मानना है कि यदि राज्य प्राधिकारी भी किसी भी घाटे को पूरा करने के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं, पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) और/या राज्य योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लेते हैं, तो यह संभव होना चाहिए कि ग्राम पंचायत भवनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बुनियादी ढांचे की कमी का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा।

9. अन्य कार्यों को निष्पादित करने, जो महात्मा गांधी नरेगा और वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत अनुमत हैं, और ग्रामीण स्तरों पर कार्यों (अधिकतम लागत सीमा 15 लाख रुपये) विशेषकर उन गांवों में, जहाँ पंचायत भवन या कोई अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचा नहीं है, तथा एसएचजी समूहों के लिए कायों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की निधियों को महात्मा गांधी नरेगा के साथ एकीकृत करने के प्रयास भी किए जाएं।यह सुझाव दिया जाता है कि भवनों को समूहों द्वारा तय किए गए शुल्क पर सामुदायिक आयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे निर्माण कार्यों की लागत को महात्मा गांधी नरेगा निधि और एफसी निधि तथा अन्य पंचायत निधियों में समान रूप से बाँटा जाना चाहिए।

10. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अनुरोध करते हैं कि प्रत्येक जिले के लिए अपनी रणनीति तैयार करने और इस विशेष प्रावधान के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित जीपी भवनों की संख्या के बारे में पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को यथाशीघ्र सूचित करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं। महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण के तहत किए जाने वाले निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के सभी प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

सादर,

आपका,

(10.06.20)
(सुनील कुमार)

नागेंद्र नाथ सिन्हा

संलग्नक: यथोपरि

सभी राज्यों के मुख्य सचिव, : (सूची के अनुसार संलग्न)

राज्य	आरएलबी/टीलबीकी संख्या	एफएफसी की अव्ययित शेष राशि (करोड़ रु.में)	14वें वित्त आयोगद्वारा निधियों काआवंटन		पंचायत भवन
	एलजीडी केअनुसार	01.04.20 की स्थिति के अनुसार	आबद्ध	अनाबद्ध	अनुमानितघाटा
आंध्र प्रदेश	13,371	715	1,313	1,313	1,615
अरूणाचल प्रदेश*	1,785		116	116	1,233
असम	2,197	2,398	802	802	292
बिहार*	8,387		2,509	2,509	1,055
छत्तीसगढ	11,655	780	727	727	692
गोवा	191	55	38	38	90
गुजरात*	14,292		1,598	1,598	227
हरियाणा	6,197	570	632	632	3,827
हिमाचल प्रदेश	3,226	658	215	215	9
जम्मू और कश्मीर**	4,290	768			1,257
झारखंड	4,353	958	845	845	279
कर्नाटक	6,021	1,967	1,605	1,609	460
केरल*	941		814	814	3
लद्दाख **	192	14			
मध्य प्रदेश #	22,812	979	1,992	1,992	0
महाराष्ट्र	27,877	3,673	2,914	2,914	3,794
मणिपुर	161	19	89	89	57
मेघालय#	8,998		91	91	
मिजोरम#	823		47	47	114
नगालैंड#	1,270		63	63	633
ओडिशा	6,798	2,889	1,129	1,129	0
पंजाब	13,261	216	694	694	7,618
राजस्थान	11,341	3,258	1,931	1,931	1,928
सिक्किम	185	52	21	21	43
तमिलनाडु	12,523	3,908	1,804	1,804	2,650
तेलंगाना	12,769	915	924	924	4,390
त्रिपुरा	591	58	96	96	56
उत्तर प्रदेश	58,762	4,314	4,876	4,876	26,318
उतराखंड	7,791	258	287	287	1,601
पश्चिम बंगाल*	3,340		2,206	2,206	38
कुल	**2,66,400**	**29,422**	**30,375**	**30,375**	**60,279**

स्रोत:

14वां वित्त आयोग = प्रियासॉफ्ट
15वां वित्त आयोग = 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा

टिप्पणी:

** प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस पर जो राज्य ऑन-बोर्ड नहीं हैं; वे असंपुष्ट हैं।*
***31.10.2019 कोजम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ।*
 # 14वें वित्त आयोग के तहत आवंटित नहीं की गई निधियाँ।

****